

प्रश्नक,

निदेशक,  
पिछड़ा वर्ग कल्याण,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

आहरण वितरण अधिकारी,  
/ जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी,

सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलन्दशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, मैनपुरी, एटा, बरेली, बिजनौर, बदायूँ, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, पीलीभीत, रामपुर, फर्रुखाबाद, इटावा, कानपुर नगर, फतेहपुर, इलाहाबाद, झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा, वाराणसी, मिर्जापुर, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़, देवरिया, लखनऊ कलेक्ट्रेट, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुरखीरी, गोण्डा, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी, ललितपुर, गाजियाबाद, कानपुर देहात, मऊ, सिद्धार्थ नगर, फिरोजाबाद, सोनभद्र, महाराजगंज, महोबा, संतरविदास नगर, कुशीनगर, अम्बेडकर नगर, गौतमबुद्ध नगर, चन्दौली, हाथरस, बलरामपुर, संतकबीर नगर, औरैया, कौशाम्बी, बागपत, कन्नौज, श्रावस्ती, अमरोहा, अमेठी, हापुड, शामली एवं सम्भल (कुल 71 जनपद)।

पत्रांक 264/006 डीबीए/पि0व0क0/अधि0आवं0/2017-18 लखनऊ:दिनांक:

28 फरवरी, 2018

विषय: वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या 79 के लेखाशीर्षक: '2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-03-पिछड़े वर्गों का कल्याण-001-निर्देशन तथा प्रशासन-03-मुख्यालय/मण्डलीय/जिला कार्यालयों का अधिष्ठान' मदों के व्यय हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में अधिष्ठान मद में शासन के आदेश संख्या-08/2017/652/64-2-2017-1(01)/2017 दिनांक 14 अगस्त, 2017 द्वारा निदेशालय के अधिष्ठान मद में चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-79 के अन्तर्गत अन्तिम रूप से व्यवस्थित धनराशि रु0 1825.39 के सापेक्ष उपर्युक्त जनपदों के व्यय हेतु धनराशि रु0 74,27,231.00 (रु0 चौहत्तर लाख सत्ताईस हजार दो सौ इकतीस मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवम् प्रतिबन्धों के अधीन आबंटित की जाती है:-

- 1- स्वीकृत धनराशि का आहरण एवम् व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 01/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक 02 जनवरी, 2017 एवं शासनादेश संख्या- संख्या-03/2017/बी-1-248/दस-2017-231/2017 दिनांक 20 मार्च, 2017 में दी गयी शर्तों/दिशा निर्देशों को पूर्णतया ध्यान में रखते हुए तथा उसमें उल्लिखित संगत शर्तों/प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए ही किया जायेगा।
- 2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-79 के लेखाशीर्षक '2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-03-पिछड़े वर्गों का कल्याण-001- निर्देशन तथा प्रशासन-03- मुख्यालय/मण्डलीय/जिला कार्यालय' के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।
- 3- आबंटित धनराशि का व्यय प्रत्येक दशा में वर्तमान वित्तीय वर्ष तक सुनिश्चित किया जाये। किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितताओं के लिए संबन्धित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।
- 4- आबंटित धनराशि का व्यय किसी ऐसे मद में कदापि न किया जाय, जिसके लिए वित्तीय हस्त-पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के अन्तर्गत शासन या सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व सहमति आवश्यक है। ऐसे व्यय शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति व सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जाये। आपको पुनः स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त धनराशि की प्राप्ति की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय कदापि न किया जाय एवं व्यय आबंटित धनराशि तक ही सीमित रखा जाये।
- 5- समय-समय पर निर्गत मितव्ययिता संबंधी आदेशों का पालन विशेष रूप से किया जाय। यह उल्लेखनीय है कि शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितांत आवश्यक है। अतः यात्रा व्यय, कार्यालय व्यय, टेलीफोन पर व्यय एवं मोटर गाड़ियों के अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद की मदों के अन्तर्गत व्यय करते समय मितव्ययिता किये जाने के संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में निहित निर्देशों को सम्मिलित करते हुए वित्त संसाधन (विविध) अनुभाग के शासनादेश संख्या : 2163/10सचि0/(1)/91, दिनांक 10-12-1991 में उल्लिखित निर्णयों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये। कृपया इन मदों में बचत एवं उपभोग की सूचना यथासमय उपलब्ध कराना होगा।
- 6- कोषागार से आहरित धनराशि का विवरण प्रत्येक माह की 10 तारीख तक, बी0एम0-8 में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाय। इस विवरण में कोषागार बाऊचर संख्या तथा दिनांक एवं धनराशि का उल्लेख अवश्य किया जाये।
- 7- आहरण वितरण अधिकारी को अगली बार बजट तभी आबंटित किया जायेगा जब उपर्युक्तानुसार बी0एम0-8 में सूचना प्राप्त हो जायेगी।
- 8- आबंटित धनराशि का व्यय आपके कार्यालय में स्वीकृत कर्मियों की संख्या के अनुसार ही किया जायेगा।

- 9- यदि बी0एम0-8 में सूचना नहीं भेजी जाती है तो गबन आदि की कोई घटना होने पर संबंधित आहरण-वितरण अधिकारी जिम्मेदार होंगे।
- 10- यदि किसी मद में धनराशि समर्पित की जाती है तो संबंधित कोषागार का प्रमाण-पत्र नोट कराना आवश्यक होगा।
- 11- एक बार धनराशि समर्पित कर दिये जाने के बाद नियमानुसार निदेशक की लिखित स्वीकृति के बिना उस धनराशि का आहरण कोषागार से नहीं किया जा सकेगा। समर्पण के बाद बिना अनुमति के यदि कोई धनराशि कोषागार से आहरित की जाती है, तो इसके लिए आहरण वितरण अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।
- 12- कोषागार से आहरित धनराशि का नियमानुसार पूरा लेखाजोखा रखना अनिवार्य होगा।
- 13- यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि आहरित धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही सम्पूर्ण, मुख्य, उप-मुख्य, लघु एवं विस्तृत लेखाशीर्षक अवश्य अंकित किया जाये, ताकि महालेखाकार के कार्यालय में अंकन में बाधा न हो।
- 14- बजट की किसी ऐसी प्राथमिक इकाई या लेखाशीर्षक के सापेक्ष व्यय न किया जाय, जिसके लिए बजट में प्राविधान नहीं है।
- 15- संविदा पर कार्यरत चौकीदारों के पारिश्रमिक का भुगतान मद संख्या-16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान मद में आवंटित धनराशि से किया जायेगा।
- 16- वेतन सम्बन्धी मदों जैसे (01,03,06) में आवंटित धनराशि तथा पूर्व में अवशेष धनराशि को जोड़कर वेतन का आहरण किया जाये तथा अतिरिक्त मांग न की जाये।
- 17- जनपदों को आवंटित बजट से मण्डलों का तथा मण्डलों को आवंटित बजट से जनपदों का व्यय कदापि न किया जाय।
- 18- व्यय की सूचना निम्नलिखित तिथियों तक इस कार्यालय को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दिया जाय।
- 1- मासिक व्यय विवरण आगामी माह की दस तारीख तक।
  - 2- व्ययाधिक्य तथा बचत का अन्तिम विवरण दिनांक 10.03.2018 तक।
  - 3- वर्ष 2017-18 में समर्पण यदि कोई हो, की सूचना दिनांक 10.03.2018 तक।
- प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 03 पर अंकित है।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

  
( सुषमा रानी )  
वित्त नियंत्रक

  
( अनिल कुमार जांगर )  
निदेशक

पृ0सं0: 2641 006 डीबीए/पि0व0क0/अधि0आवं0/2017-18 तददिनांक  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, पिछड़ा वर्ग कल्याण अनु0-2
- 2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम) उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 3- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

  
( सुषमा रानी )  
वित्त नियंत्रक

### Allotment Grid Report

**वित्तीय वर्ष:-2017-2018**  
**आवंटन दिनांक-27/02/2018**

**प्रेषण संख्या:-**  
**आवंटन आदेश संख्या:-** 006-DBA

**अनुदान संख्या:-** 79 समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)(वित्तीय वर्ष 2017-2018 का आवंटन)

**लेखाशीर्षक:-** 2225 - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण(आयोजनेतर-मतदेय)

03 - पिछड़े वर्गों का कल्याण

001 - निदेशन तथा प्रशासन

03 - मुख्यालय/मंडलीय/जिला कार्यालय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम	01-वेतन	03-मंहगाई भत्ता	04-यात्रा व्यय	06-अन्य भत्ते	08-कार्यालय व्यय	11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	13-टेलीफोन पर व्यय	15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	योग
1	सहारनपुर-4702-जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी 21200 1652000	0 89000	20000 30000	11300 90000	20000 50000	7000 20000	25000 50000	7000 15000	0 180000	0 0	20000 80000	156500 2256000
2	मुज़फ्फर नगर-4702-जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी 0 1337800	0 52600	5000 5000	9216 78316	20000 40000	20000 28000	20000 45000	10000 18000	25000 200000	9200 9200	20000 80000	163416 1893916
3	मेरठ-4702-जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी 0 1028108	22725 66113	5000 15000	0 38612	20000 50000	10000 23000	25000 50000	0 8000	0 180000	0 0	20000 80000	127725 1538833
4	बुलन्दशहर-4702-जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी 0 596100	0 22950	0 0	0 15000	0 20000	0 8000	0 0	0 8000	25000 200000	0 0	0 60000	25000 930050
5	अलीगढ़-4702-जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी 0 1431600	0 60000	0 10000	0 98500	0 30000	0 13000	0 0	6000 14000	0 180000	0 0	0 60000	6000 1897100
6	मथुरा-4702-जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी 39686 1377886	31758 165158	0 0	10930 72530	0 20000	0 8000	0 0	0 8000	25000 200000	0 0	0 60000	107374 1911574
7	आगरा-4702-जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी 144000 2673600	0 398400	0 10000	0 177800	0 30000	0 13000	0 0	0 8000	0 230000	0 0	0 60000	144000 3600800
8	मैनपुरी-4702-जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी 0 1148600	0 46700	20000 20000	2300 63600	0 20000	0 8000	10000 30000	0 8000	25000 200000	0 0	0 60000	77300 1604900
9	एटा-4702-जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी 0 1151200	0 42500	5000 5000	0 46700	20000 40000	5000 13000	15000 35000	0 8000	25000 200000	0 0	0 60000	90000 1601400

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम	01-वेतन	03-मंहगाई भत्ता	04-यात्रा व्यय	06-अन्य भत्ते	08-कार्यालय व्यय	11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	12-कार्यालय एवं उपकरण	13-टेलीफोन पर व्यय	15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	योग
10	बरेली-4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी 1829200	0 159248	0 10000	0 92560	0 30000	0 13000	0 0	0 8000	25000 380000	0 0	0 60000	25000 2582008
11	बिजनौर-4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी 1107200	0 54500	15000 15000	0 40600	25000 45000	10000 18000	25000 50000	0 8000	25000 200000	0 0	20000 80000	145000 1618300
12	बदायूं-4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी 111208 391208	0 12000	0 0	7428 21428	20000 40000	5000 13000	0 0	0 8000	0 175000	0 0	20000 80000	163636 740636
13	मुरादाबाद-4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी 55100 2447773	0 147024	0 80000	0 132338	30000 70000	32000 54000	80000 80000	6000 29000	0 205000	0 0	0 85000	203100 3330135
14	शाहजहांपुर-4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी 50908 1262108	0 55698	4000 4000	8594 58894	25000 45000	12000 20000	0 0	0 8000	25000 200000	0 0	20000 80000	145502 1733700
15	पीलीभीत-4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी 711000	0 28100	0 0	0 27700	0 20000	0 8000	0 0	0 8000	25000 200000	0 0	0 60000	25000 1062800
16	रामपुर-4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी 30000 969800	0 47800	15000 15000	0 39300	25000 45000	6000 14000	20000 20000	6000 14000	0 175000	0 0	10000 70000	112000 1409900
17	फर्रुखाबाद-4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी 832200	0 42300	0 5000	0 17000	0 20000	0 8000	0 0	0 8000	25000 200000	0 0	0 60000	25000 1192500
18	इटवा-4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी 1334600	0 112600	0 5000	15444 66844	10000 30000	0 8000	20000 20000	5000 13000	25000 200000	0 0	10000 70000	85444 1860044
19	कानपुर नगर-4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी 2849108	0 114060	20000 30000	0 110700	10000 40000	10000 28000	0 0	0 11000	25000 200000	0 0	20000 85000	85000 3467868
20	फतेहपुर-4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी 1175600	0 91000	25000 25000	0 57200	0 20000	0 8000	0 0	0 8000	25000 200000	0 0	0 60000	50000 1644800
21	इलाहाबाद-4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी 4823942	0 303200	10800 35800	450000 817454	0 40000	0 27000	0 0	0 28000	25000 405000	0 0	0 90000	485800 6570396
22	झाँसी-4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी 1710400	0 92300	10000 20000	0 92400	0 30000	0 13000	0 0	0 8000	25000 305000	0 0	0 60000	35000 2331100
23	जालौन-4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी 530400	0 24400	0 10000	0 24100	20000 40000	12000 20000	30000 30000	0 8000	0 175000	0 0	0 60000	62000 921900
24	हमीरपुर-4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी 783600	0 33500	0 0	0 42800	0 20000	0 8000	0 0	0 8000	25000 200000	0 0	0 60000	25000 1155900

